निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) के **34-धोद(अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में घोषणा करता हूँ कि—

श्री परसराम मोरदिया (नाम) वार्ड न. 42 भगवती भवन मकान सं.—264 आनंद नगर, सीकर (पता) मौबाईल नम्बर— 9928070599 9414173366

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन के स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सीकर

दिनांक : 11/12/2018

(राजपाल यादव) रिटर्निंग ऑफिसर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,धोद 34–धोद (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Others)

FORM-21 C

(SEE RULE-64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF RAJASTHAN (STATE) FROM 34-DHOD(S.C.) ASSEMBLY CONSTITUENCY

In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act. 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1951, I declare that-

Shri PARASRAM MORDIA

(Name)

WARD NO. 42, BHAGAWATI BHAWAN, HOUSE NO 264, ANAND NAGAR, SIKAR (Address) Mobile No.- 9928070599 9414173366

Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognised / registered political party) has been duly Elected to fill the seat in the House from the above Constituency.

Place: SIKAR

Date: 11.12.2018

RETURNING OFFICER SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, DHOD 34-DHOD (S.C.) ASSEMBLY CONSTITUENCY